न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2024/35

1. हीरा लाल पुत्र स्व. श्री कन्हैया लाल कोली
2. लादू राम पुत्र स्व. श्री कन्हैया लाल कोली,
3. हरिनारायण पुत्र स्व. श्री कन्हैया लाल कोली,
4. नोरतन पुत्र स्व. श्री कन्हैया लाल कोली,
5. राजेन्द्र पुत्र स्व. श्री कन्हैया लाल कोली,
6. गिर्राज पुत्र स्व. श्री कन्हैया लाल कोली,
7. श्रीमती मूली पत्नी स्व. श्री कन्हैया लाल कोली,

समस्त जाति कोली, समस्त निवासीयान ग्राम कानोता, तहसील बस्सी, जिला जयपुर ।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. जमना लाल पुत्र श्री भुवाना कोली, निवासी ग्राम कानोता, तहसील बस्सी, जिला जयपुर ।
2. प्रभूनारायण पुत्र श्री गंगा सहाय बैरवा,
3. बलदेव पुत्र श्री गंगा सहाय बैरवा,
4. ओम प्रकाश पुत्र श्री महादेव बैरवा,

समस्त जाति बैरवा, समस्त निवासीयान कालवानियों का मोहल्ला कानोता, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

5. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीसलदार, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

— रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जिला जयपुर दिनांक 03.08.2023 प्रार्थना पत्र संख्या 120/2022 बउनवानी जमना लाल बनाम सरकार व अन्य।

उपस्थित—

1. श्री जितेन्द्र कुमार पारीक, वकील अपीलान्ट

निर्णय

दिनांक —07.02.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 03.08.2023 के खिलाफ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 05.02.2024 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी के समक्ष एक प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी करवाने हेतु अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू के तहत प्रस्तुत कर पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया । अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी ने पत्थरगढी करने के आदेश पारित किये गये।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

3. उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 03.08.2023 से व्यथित होकर अपीलान्ट हीरा लाल पुत्र स्व. श्री कन्हैया लाल कोली द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर का निर्णय दिनांक 03.08.2023 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने अपीलांट के योग्य अधिवक्ता की बहस, बहस एडमिशन पर सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस एडमिशन के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी के समक्ष एक प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी करवाने हेतु अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत प्रस्तुत कर अपीलाधीन न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.08.2023 पत्थरगढी के पारित किये गये हैं। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व में उक्त प्रार्थना पत्र में अपीलार्थीगणा को अन्तरिम नि ोधाज्ञा से दिनांक 14.6.20016 को पाबन्द फरमा दिया था, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष एक अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्ध निर्णय दिनांक 14.6.2016 बउनवानी हीरा लाल व अन्य बनाम जमना लाल व अन्य प्रस्तुत की, जिसकी सुनवाई करते हुये माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 03.08.2016 को अपीलार्थीगण के पक्ष में अन्तरिम नि ोधाज्ञा पारित की गयी। तदोपरान्त माननीय न्यायालयय द्वारा दिनांक 18.07.2022 को उक्त अपील का अंतिम रूप से निर्णय करते हुये प्रकरण की पत्रावली को माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी को दोनों पक्षों को सुना जाकर, साक्ष्य सबूत लेकर प्रकरण का निस्तारण करने के आदेश के साथ, पत्रावली रिमाण्ड कर दी। तदोपरान्त माननीय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर द्वारा पक्षकारान की सुनवाई करते हुये दिनांक 03.08. 2023 को आक्षेपित आदेश पारित करते हुये, पत्थरगढी के आदेश पारित कर दिये। माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना न्यायिक प्रक्रिया का पालन किये तथा बिना न्यायिक विवके का इस्तेमाल किये तथा अपीलान्टस के साक्ष्य सबूत लिये बिना ही प्रकरण की सुनवाई कर, आक्षेप आदेश पारित कर विधि की भारी भूल की है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब की मद संख्या 5 में वर्णित तथ्यों से यह स्थिति स्प ट हो चुकी थी कि ग्राम कानोता का राजस्व नक्शा जीण–क्षीण व फटा हुआ है अर्थात तहसीलदार, बस्सी माननीय अधीनस्थ न्यायालय से जिस राजस्व नक्शे के माध्यम से पत्थरगढी करवाना चाह रहे हैं, वह राजस्व नक्शा फटा हुआ है, जिससे साफ जाहिर होता है कि राजस्व नक्शा के अभाव में मौके पर पत्थरगढी की कार्यवाही समुचित रूप से नहीं हो सकती है। उक्त तथ्य पत्रावली पर मौजूद होने के उपरान्त भी माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमाने रूप से उक्त आक्षेपित आदेश पारित कर, पत्थरगढी करने के आदेश पारित कर दिये। जब राजस्व नक्शा ग्राम कानोता का जीर्ण क्षीर्ण व फटा हुआ है तो ऐसी सूरत में सीमाओं का निरीक्षण कर, पत्थरगढी करना संभव नहीं है। मौके पर कॉलानी विकसित है तथा रोड बनी हुई है तथा मकानात, दुकानात इत्यादि बने हुये है तथा पानी बिजली के कनेक्शन लगे हुये है एवं आमजन निवास कर अपने उपयोग उपभोग में ले रहे हैं। इस कारण राजस्व कर्मचारियों द्वारा जरी डालकर, नाप झोंक कर, पत्थरगढी किया जाना कतई संभव नहीं है। लेकिन तहत न्यायालय ने आदेश देने से पूर्व किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की और अपीलाधीन आदेश पारित करने में अहम कानूनी गलती की है। अतः अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.08.2023 को निरस्त फरमाया जावे। माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलौच्य आदेश दिनांक 03.08.2023 को पारित किया गया था। अपीलान्ट को आदेश के संबंध में उनके अधिवक्ता द्वारा कोई

संभागीय आयुक्त
जयपुर

जानकारी/सूचना नहीं दी। दिनांक 30.01.2024 को तहसील बस्सी, जिला जयपुर से कुछ राजस्व कर्मचारी मौके पर आये तथा मौके का निरीक्षण करने लगे जिस पर अपीलाटंस द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने उक्त आक्षेपित आदेश की जानकारी दी, जिस पर अपीलान्ट ने अपने अधिवक्ता से संपर्क कर, जानकारी चाही तो अधिवक्ता ने उक्त आक्षेपित आदेश की जानकारी दी जिस पर माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि चाहने हेतु दिनांक 31.01.2024 को नकल आवेदन पेश किया, जिस पर दिनांक 01.02.2024 को नकल प्राप्त होने पर अपीलाटंस को माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश की सर्वप्रथम जानकारी हुई है। जानकारी की दिनांक अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील प्रस्तुती में हुये विलम्ब को न्यायहित में माफ किया जाकर अपील को मियाद में शुमार फरमाते हुये अपील की सुनवाई व कार्यवाही करने की कृपा करें।

6. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश व पत्रादि के अवलोकन से जाहिर होता है कि उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश 03.08.2023 को पारित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश 03.08.2023 के विरूद्ध न्यायालय हाजा में दिनांक 05.02.2024 को अपील लगभग 5 माह बाद विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है। अपीलान्ट का यह कथन है कि अपीलान्ट को आदेश के संबंध में उनके अधिवक्ता द्वारा कोई जानकारी/सूचना नहीं दी। दिनांक 30.01.2024 को तहसील बस्सी, जिला जयपुर से कुछ राजस्व कर्मचारी मौके पर आये तथा मौके का निरीक्षण करने लगे जिस पर अपीलाटंस द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने उक्त आक्षेपित आदेश की जानकारी दी, जिस पर अपीलान्ट ने अपने अधिवक्ता से संपर्क कर, जानकारी चाही तो अधिवक्ता ने उक्त आक्षेपित आदेश की जानकारी दी। वकील अपीलान्ट का यह कथन उचित प्रतीत नही होता है कि उसे उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश 30.01.2024 की जानकारी नहीं थी। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम में 5 माह विलम्ब के सम्बन्ध में कोई ठोस कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। जिसके कारण अपील करने में हुये 5 माह के विलम्ब को कन्डोन किया जा सके। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03.08.2023 यथावत रखा जाता है।

(डॉ. आशीष मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 07.02.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर